

04.12.2019

अभियुक्त विन्दा प्रसाद की ओर से मु0सं0-1246 / 19, अन्तर्गत धारा-323, 452, 504, 506 भा0दं0सं0 थाना बीघापुर जनपद उन्नाव में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त स्वयं आत्मसमर्पित होकर न्यायिक अभिरक्षा में है। मामला परिवार पर संस्थित है। मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के प्रकाश में आधार जमानत पर्याप्त है। अभियुक्त के द्वारा 20,000/-रूपये की दो जमानतें व उतनी ही धनराशि का निजी बन्धपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कोर्ट सं0-3, उन्नाव।